प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्या–18सी.ए.एम.डी./17–100 सी.ए.एम.डी./16 दिनांक 12.01.2017 द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में अलीगढ़ क्षेत्र के निम्नांकित बस स्टेशनों पर दैनिक आधार पर यात्रियों को Branded उच्चतम श्रेणी की बोतल बन्द पेयजल सुविधा माह मार्च 2017 तक उपलब्ध कराने हेतु Branded कम्पनियों से जैसे कि Aquasure Bislery Aquafina Kinley Oras इत्यादि से निम्न शर्तो पर दिनांक 09.02.2017, समय 14.00 बजे तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त प्रस्तावों पर दिनांक 09.02.2017 को समय 15.00 बजे समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

क0सं0	क्लस्टर	क्षेत्र	बस स्टेशन का नाम	अनुमानित बस प्रस्थानों की संख्या
1.	1.	अलीगढ़	गॉधीपार्क	130
2.			सासनी	260
3.			कासगंज	206
4.			अतरौली	130
5.			मसूदाबाद	130
6.			हाथरस	86
7.			एटा	386
8.			नरौरा	43

1. प्रत्येक बस स्टेशनों पर बोतल बन्द पेयजल की आपूर्ति हेतु उपरोक्त Branded के प्राप्त प्रस्तावों पर उन्हें माह मार्च 2017 (जब तक आचार संहिता लागू है निविदा करना सम्भव नहीं है) तक के लिए विकय अधिकार प्रदान किया जायेगा।
2. क्षेत्र के अधीनस्थ बस स्टेशनों को सम्मिलित करते हुये 1 क्लस्टर बनाया गया है। क्लस्टर का बेस प्राइस क्लस्टर में सम्मिलित स्टेशनों की संख्या के आधार पर प्रति बस स्टेशन रू0 2.00 लाख की दर से क्लस्टर का बेस प्राइस रू0 16.00 लाख आंकलित होगा।
3. उपरोक्त क्लस्टर का एक मुश्त ऑफर दिये जाने की स्थिति पर बिडर को निर्धारित किराये पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी। उक्त के विपरीत यदि कोई बिडर क्लस्टर में सम्मिलित समस्त बस स्टेशनों के लिए ऑफर न देते. हुये क्लस्टर में सम्मिलित Individual बस स्टेशन का ऑफर देता है तो उससे निर्धारित किराये पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त किराया लिया जायेगा।
4. फर्म द्वारा निर्धारित लाइसेन्सी फीस प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि में अग्रिम निगम कोष में जमा की जायेगी।
5. फर्म द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात विलम्ब से भुगतान किये जाने पर 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क जमा करना होगा।
6. विकय अधिकार प्राप्त करने वाली फर्म/कम्पनी से उपलब्ध कराये गये बस स्टेशनों/ क्लस्टर की संख्या के आधार पर एक माह की लाइसेन्सी फीस के समतुल्य धनराशि प्रतिभूति (राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट) के रूप में निगम कोष में जमा करनी होगी।
7. उक्त प्रतिभूति की धनराशि फर्म को विकय अधिकार अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात किसी प्रकार की अवशेष देयता न होने की स्थिति में वापस की जायेगी।
8. फर्म द्वारा प्राप्त लाइसेन्सी फीस के अतिरिक्त नियमानुसार देय सेवाकर की धनराशि फर्म को जमा करनी होगी।
9. यदि किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किसी विधिक शुल्क या कर की मांग की जाती है तो उसके भुगतान करने का दायित्व फर्म अथवा कम्पनी का होगा।
10. प्रत्येक बस स्टेशन पर फर्म को केयोस्क स्थापन हेतु 10X10 फुट कुल 100 वर्ग फुट स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। उपलब्ध कराये गये स्थान के लिए रू0 1.00 प्रति बस स्टेशन की दर से नोशनल किराया जमा करना होगा।

Downloaded from www.upsrtc.com

11. उ0प्र0 परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर विक्रय की जाने वाली पेय जल बोतल की एम0आर0पी0 से कम पर निर्धारित होनी चाहिए।
12. फर्म द्वारा स्थापित केयोस्क द्वारा विद्युत उपभोग किये जाने की स्थिति में नियमानुसार विद्युत शुल्क की वसूली फर्म से की जायेगी।
13. फर्म द्वारा अपने केयोस्क में/पर अपने ब्राण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।
14. फर्म द्वारा स्थापित केयोस्क में अपनी ब्राण्ड की बोतल बन्द पेय जल के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ या वस्तु की बिक्री नहीं की जायेगी।
15. इस विक्रय अधिकार में सम्पूर्ण नियम एवं शर्तो के साथ–साथ चुनी गयी कम्पनी को 10 दिन का समय केयोस्क स्थापन हेतु प्रदान किया जायेगा।
16. बस स्टेशन/क्लस्टर में सम्मिलित बस स्टेशनों में पेय जल विक्रय का अधिकार प्रदान करने वाली फर्म के ब्राण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी फर्म के ब्राण्ड के पेय जल का विक्रय उक्त बस स्टेशन/क्लस्टर में सम्मिलित बस स्टेशनों में नहीं किया जायेगा।
17. फर्म द्वारा उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का अनुपालन न किये जाने अथवा अन्य परिस्थितियों में किसी भी समय अनुबन्ध समाप्ति का अधिकार निगम में निहित होगा।
18.

(अतुल त्रिपाठी)
क्षेत्रीय प्रबन्धक

कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम
अलीगढ़

पत्रांकः क्षेप्र0/अली0/पेयजल/प्रस्ताव/2017– 797 दिनांकः 3-2-17

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक (संचालन) महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
3. सहायक प्रबन्धक (एम0आई0एस0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त प्रस्ताव आमंत्रण सूचना को निगम की बेवसाइट पर अपलोड़ कराने का कष्ट करें।
4. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ....।
5. सेवा प्रबन्धक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अलीगढ़।
6. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/डिपो प्रभारी, अलीगढ़ क्षेत्र को सभी नोटिस बोर्डो पर चस्पा हेतु।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

Downloaded from www.upsrtc.com